

**धारा 8 : संयुक्त और मिश्रित पूर्तियों पर कर का दायित्व**

किसी संयुक्त या मिश्रित पूर्ति पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके की गई किसी संयुक्त पूर्ति को, जिसमें से एक मुख्य पूर्ति है, ऐसे मुख्य पूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा; और
  - (ख) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके की गई मिश्रित पूर्ति को उस विषिष्ट पूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम हैं।
-